न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 05/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
नखतपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर		जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट जोधपुर

आर्म्स अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम 2016, विरूद्ध आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (शहर–प्रथम) क्रमांकः न्यायिक/शस्त्र/2022/991 दिनांक 18.7.22 द्वारा प्रार्थी के पिता को जारी शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन अनुज्ञापत्र अपने नाम हस्तांतरण का आवेदन खारिज करने बाबत।

उपस्थिति–
1. श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

निर्णय

दिनांक 25.01.2023

1. प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपने पिता श्री भंवर सिह की मृत्यु के उपरांत उनके नाम जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा जारी शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन का अनुज्ञापत्र क्रमांक 272/90, जो जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के कार्यालय में क्रमांक 17/6.1.92 से दर्ज एवं दिनांक 31.12.2021 तक नवीनीकृत किया हुआ था, अपने नाम हस्तांतरण हेतु मृत्तक उत्तराधिकार अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ने अपने आदेश क्रमांकःन्यायिक/शस्त्र/2022/991 दिनांक 18.7.22 के द्वारा खारीज कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. हमनें दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ने दिनांक 10.03.2022

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

को प्रत्यर्थी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में मृत्तक उत्तराधिकार अन्तर्गत अपने पिता के नाम जारी शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन का नवीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में शपथ पूर्वक बयान किया कि उसके विरूद्ध भारत के किसी भी न्यायालय या पुलिस थाना में किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है तथा धारा 107 में कोई प्रकरण लंबित नही है और वह किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता नही है। आवेदन के संलग्न समस्त औपचारिक दस्तावेज यथा शस्त्र अनुज्ञाधारी श्री भंवर सिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र, वंशावली प्रमाण–पत्र, सहमति पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, शिक्षा व चिकित्सा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, अन्डरटेकिंग, हैसियत प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण व आग्नेय शस्त्र संचालन की दक्षता संबंधी प्रमाण–पत्र व जमाबंदी इत्यादि प्रस्तुत किए गये।

4. जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा प्रार्थी के चरित्र एवं हथियार की आवश्यकता तथा औचित्य के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जोधपुर, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, एटीएस जयपुर से जांच रिपोर्ट चाही गई। जिसमें उप वन संरक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, सीआईडी की रिपोर्ट्स में प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नही पायी गई। इसके बावजूद प्रार्थी का आवेदन इस आधार पर खारीज कर दिया गया कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण की रिपोर्ट कमांक 1856 दिनांक 23.05.2022 में थानाधिकारी, पुलिस थाना शेरगढ़ की जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने से शस्त्र अनुज्ञा पत्र हस्तांतरित किये जाने की अनुशंषा नही की गई।

5. जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा प्रार्थी के आवेदन व पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण की रिपोर्ट पर गौर किये बिना एवं उसमें उल्लेखित तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार किए बिना विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जो अपास्त योग्य है। जबकि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बिन्दु सं0 3 में स्पष्टतः यह उल्लेख किया हुआ है कि पुलिस थाना शेरगढ़ के रिर्कार्ड अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 74 दिनांक 17.07.2010 धारा 143, 447, 435 भादस व 3(i)(x)SC/ST Act पुलिस थाना शेरगढ में दर्ज होकर चालान संख्या 66 दिनांक 15.09.2010 द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.02.2013

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

को प्रार्थी को बरी किया गया। इसके अलावा प्रार्थी ने उक्त हथियार अपनी फसल एवं खेतों की वन्य जन्तुओं से सुरक्षा एवं रखवाली करने हेतु तथा अपने पिता की निशानी व धरोहर के तौर पर व अपने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करने हेतु मृत्तक उत्तराधिकार के रूप में आवेदन किया गया था। अतः उक्त आदेश आर्म्स एक्ट एवं रूल्स के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर, अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

6. राजकीय अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि प्रकरण में अपर जिला जिला मजिस्ट्रेट (शहर–प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है, तथापि प्रकट तथ्यों के अनुसार विधि अनुकूल निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

7. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा प्रेषित विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आवेदन मृत्तक उत्तराधिकार के तहत फार्म एवं हाउस गार्डिंग एण्ड गार्ड ड्यूटी हेतु किया गया था। जिसका उल्लेख आवेदन के बिन्दु सं0 15 व 18 में उसके द्वारा किया हुआ है। इस प्रकार आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यता/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो, उसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण की रिपोर्ट के बिन्दु सं0 3 में उल्लेखित प्रकरण संख्या 74 दिनांक 17.07.2010 अन्तर्गत धारा 143, 447, 435 भादस व 3(i)(x)SC/ST Act में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.02.2013 को प्रार्थी को बरी कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर–प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः नही होने से निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट –आवेदक द्वारा प्रकट तथ्यों एवं संबंधित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट्स के दृष्टिगत,

डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के तहत सहानुभूति पूर्वक विचार कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करावे।

.8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपर्युक्त आब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 25 जनवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

25/1/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर